बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

ज्ञापांक–पु0 / सू0 / केन्द्र / नि0 / प्राधिकार–85 / 2014........197........ पटना, दिनांक 16/09/2025

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0)
बिहार पटना ।

औपचारिक रूप से
परामर्शित द्वारा आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (राज्य पुस्तकालय) बिहार, पटना को सहायक अनुदान गैर वेतन मद में **रू0–20,00,000=00 (बीस लाख रूपये) मात्र** की स्वीकृति एवं व्यय की विमुक्ति के संबंध में।

उद्देशयः–

श्रीमती राधिका सिन्हा इन्स्टीच्यूट एवं सच्चिदानन्द सिन्हा लाईब्रेरी (राज्य पुस्तकालय) बिहार, पटना को वित्तीय वर्ष 2025–26 में सरकार द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन 31–06 मद में **रू0–20,00,000=00 (बीस लाख रूपये) मात्र** की राशि प्रथम अनुपूरक आगणन के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी है। सरकार द्वारा इस पुस्तकालय को अधिग्रहण किये जाने के पश्चात् अनेकों सुविधाएँ प्रदान की जा रही है। **उक्त मद में अतिरिक्त उपबंधित राशि से सामग्रियों तथा अन्य आवश्यक कार्यों में पेंशन मद आदि को छोड़कर उपयोग किया जा सकता है।** ताकि पुस्तकालय का संचालन सुचारू रूप से कराया जा सके। इस पुस्तकालय में पाठकों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध है। उक्त पुस्तकालय को राज्य पुस्तकालय का दर्जा प्रदान किया गया। उक्त पुस्तकालय छज्जुबाग के निकट में अवस्थित है। इस पुस्तकालय में कई वर्षों से पाण्डुलिपियाँ एवं कई तरह के ऐतिहासिक पुस्तकें संग्रहित है। पुस्तकालय में प्रतिदिन बड़ी सख्याओं में शोधार्थी एवं पाठकगणों का आगमन होता रहता है। अतएव, वित्तीय वर्ष 2025–26 में सिन्हा लाईब्रेरी, पटना के लिए स्थापन एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन मद में उपबंध किये गये **रू0–20,00,000=00 (बीस लाख रूपये) मात्र** की राशि की स्वीकृति एवं व्यय की विमुक्ति प्रदान की जाती है।

आदेश–स्वीकृत।

महाशय,

2. श्रीमती राधिका सिन्हा इंस्टीच्यूट एवं सच्चिदानंद सिन्हा लाइब्रेरी (राज्य पुस्तकालय) बिहार, पटना को स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत सहायक अनुदान गैर वेतन मद में निम्न प्रकार से राशि की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्रम सं0	मद	राशि
1.	**सहायक अनुदान गैर वेतन 0002–31–06**	**20,00,000/–**
	कुल :–	**20,00,000/–**

3. वित्तीय वर्ष 2025–26 में बजट शीर्ष अन्तर्गत व्यय का विकलन मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष–2205–कला एवं संस्कृति, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–105– सार्वजनिक पुस्तकालय, उपशीर्ष–0002–सिन्हा लाईब्रेरी, पटना विपत्र कोड–21–2205–00– 105–0002, विषय शीर्ष–0002–31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद अन्तर्गत **रू0–20,00,000=00 (बीस लाख रूपये)** मात्र का अतिरिक्त उपबंधित राशि प्रथम अनुपूरक आगणन के माध्यम से सहायक अनुदान गैर वेतन मद से होगा।

4. उक्त आवंटन को उप निदेशक प्रशासन–सह–बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के द्वारा C.F.M.S प्रक्रियाधीन करते हुए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. उक्त राशि निदेशक, पुस्तकालय–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा BTC-42 पर विपत्र तैयार कराकर कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना के माध्यम से Bank Name- BANK OF BARODA, Saving Account No-00030100018204, IFSC CODE-BARBOPATNAX, Branch-Patna MAIN BRANCH, Patna-800001 में तत्काल सुरक्षित रखते हुए RTGS के माध्यम से सिन्हा लाईब्रेरी (राज्य पुस्तकालय) पटना के बैंक खाते में विहित प्रक्रिया तहत उपलब्ध करायेंगे, साथ ही यह सुनिश्चित हो लेंगे कि इसके पूर्व वित्तीय वर्ष का संबंधित पुस्तकालयों से उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ली गई है। इसके पश्चात् ही राशि का उपयोग किया जायेगा।

6. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग, वित्त अंकेक्षण विभाग, बिहार एवं महालेखाकार बिहार, पटना को लेखा का अंकेक्षण निरीक्षण करने का अधिकार होगा। पुस्तकालय के संबंधित सचिव इस राशि का लेखा का संधारण अलग से करेंगें।

7. स्वीकृत सहायक अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र (फार्म–42) में विधिवत भरकर एवं चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण के साथ निर्धारित अवधि में विभाग को समर्पित किया जायेगा, ताकि प्रतिहस्ताक्षरोपरांत महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को प्रेषित किया जा सके।

8. 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन महालेखाकर, बिहार से करा लिया जायेगा।

9. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश सं०–2561, दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशो के आलोक में किया जायेगा।

10. स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय संकल्प सं०–12888 दिनांक–03.12.2024 के कंडिका–3 और 5 (ख) (ii) के आलोक में निर्गत की जा रही है तथा वित्त विभागीय परिपत्र सं०–7355, दिनांक–05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. संचिका संख्या–पु0 / सू0 / केन्द्र / निदे0 / प्राधिकार–85 / 2014 के **पृ०–182 / टि० पर दिनांकः–29.08.2025** को राशि की निकासी पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. संचिका संख्या– पु0 / सू0 / केन्द्र / निदे0 / प्राधिकार–85 / 2014 के **नोट–61 पर दिनांकः–08.09.2025** को माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

13. राशि का विचलन किसी अन्य मद में नही किया जाय।

14. मितव्ययिता अवश्य बरती जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–पु0 / सू0 / केन्द्र / निदे0 / प्राधिकार–85 / 2014–.............पटना, दिनांक...........................

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

ह०/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–पु0 / सू0 / केन्द्र / निदे0 / प्राधिकार–85 / 2014 ....197.... पटना, दिनांक...16/09/2025

प्रतिलिपि :– निदेशक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी–सह–जिला शिक्षा पदाधिकारी, सिन्हा लाईब्रेरी, पटना/बजट पदाधिकारी/बजट शाखा प्रशाखा–05/लेखा शाखा, पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र निदेशालाय/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

16/9/25
सरकार के उप सचिव